



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 750]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2019/पौष 9, 1941

No. 750]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2019/PAUSHA 9, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

सं. 27/2019-केन्द्रीय कर (दर)

सा.का.नि. 961(अ).—केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 673(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II - 6% में, क्रम संख्या 80 कक और 171क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III - 9% में, क्रम संख्या 163क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
"163ख	3923 या 6305	पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के प्रदार्थों से बने व्युतित और अव्युतित बैग्स और सैक्स, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो;
163ग	6305 32 00	फ्लैक्सिबिल इंटरमीजिएट बल्क कंटेनर्स।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/201/2019-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 673 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2019-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, सा.का.नि. 709(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2019

No. 27/2019-Central Tax (Rate)

G.S.R. 961(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- in Schedule II - 6%, serial numbers 80AA and 171A and the entries relating thereto shall be omitted;
- in Schedule III - 9%, after serial number 163A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“163B	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods;
163C	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2020.

[F. No. 354/201/2019-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 14/2019-Central Tax (Rate), dated the 30th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 709(E), dated the 30th September, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

सं. 26/2019-एकीकृत कर (दर)

सा.का.नि. 962(अ).—एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) के साथ पठित, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II - 12% में, क्रम संख्या 80 कक और 171क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III - 18% में, क्रम संख्या 163क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
“163ख	3923 या 6305	पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के प्रदार्थों से बने व्युत्तित और अव्युत्तित बैग्स और सैक्स, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो;
163ग	6305 32 00	फ्लैक्सिबिल इंटरमीजिएट बुल्क कंटेनर्स”।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/201/2019-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 666 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2019-एकीकृत कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2019

No. 26/2019-Integrated Tax (Rate)

G.S.R. 962(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017) read with sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017- Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 666 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(a) in Schedule II - 12%, serial numbers 80AA and 171A and the entries relating thereto shall be omitted;

(b) in Schedule III - 18%, after serial number 163A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“163B	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods;
163C	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2020.

[F. No. 354/201/2019-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 14/2019-Integrated Tax (Rate), dated the 30th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 30th September, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2019

सं. 27/2019-संघ राज्य कर (दर)

सा.का.नि. 963(अ).—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1) और केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II - 6% में, क्रम संख्या 80 कक और 171क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) अनुसूची III - 9% में, क्रम संख्या 163क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)
“163ख	3923 या 6305	पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के प्रदार्थों से बने व्युतित और अव्युतित बैग्स और सैक्स, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो;
163ग	6305 32 00	फ्लैक्सिबिल इंटरमीजिएट बुल्क कंटेनर्स”।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/201/2019-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 14/2019-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 30 सितम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 711(अ), दिनांक 30 सितम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3 उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2019

No. 27/2019-Union Territory Tax (Rate)

G.S.R. 963(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017) and sub-section (5) of section 15 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (a) in Schedule II - 6%, serial numbers 80AA and 171A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (b) in Schedule III - 9%, after serial number 163A and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely: -

“163B	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods;
163C	6305 32 00	Flexible intermediate bulk containers”.

2. This notification shall come into force on the 1st day of January, 2020.

[F. No. 354/201/2019-TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

Note : The principal notification No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017 and was last amended by notification No. 14/2019-Union territory Tax (Rate) dated the 30th September, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 711(E), dated the 30th September, 2019.